

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I-2020/PM9/1

New Delhi, dated \$411.2021

The General Manager (P) All Zonal Railways & **Production Units** (As per standard list)

> Sub: Introduction of General Departmental Competitive Examination (GDCE) in Accounts Department and Chief Law Assistant.

Ref: (i) Board's letter No. E(NG)I-92/PM2/16 dated 20.08.1993 (ii) Board's letter No. E(NG)I-2000/PM2/12 dated 21.08.2001

In terms of this Ministry's letter No. E(NG)I-92/PM2/16 dated 20.08.93, the scheme of General Departmental Competitive Examination (GDCE) was introduced to fill up 25% of the net direct recruitment quota vacancies (for which indents are otherwise required to be placed on RRBs) in Group 'C' categories of staff. The scheme initially introduced for a period of one year, has been extended from time to time.

- 2. The scope of GDCE has hitherto excluded categories of Law Assistants, Catering Supervisors grade and Accounts cadres. This has been reviewed by the Board and it has been decided as follows:
 - (i) Staff of Accounts Department are allowed to appear in GDCE of other Departments.
 - (ii) Staff of other Departments are allowed to appear in GDCE of Accounts Department (for the post of Accounts Clerk and Junior Accountant Assistant) subject to the condition that those employees qualifying as Junior Accounts Assistant through GDCE, have to qualify Appendix-II IREM Examination in 2 chances within a period of 3 years. Failure to do so will render such employees to be appointed as Accounts Clerk. Further promotion of such employees to the post of Junior Accounts Assistant will be governed by extant promotion rules including qualifying Appendix-II IREM Examination. This provision must be clearly stipulated while inviting applications for Junior Accounts Assistant in the GDCE notification and an undertaking be obtained from applicants.
 - (iii) Above provision is applicable for a period of 2 years whereafter, this will be reviewed.
- GDCE is permitted in the category of Law Assistants henceforth.

Please acknowledge receipt.

Hindi version will follow.

DA: Nil.

(Sanjay Kumar) Deputy Director Estt.(N)

Railway Board E-mail: sanjay.kumar6@gov.in

Ph. No. 43658/01123303658

No. E(NG)I-2020/PM9/1

New Delhi, dated 24.11.2021

Copy forwarded to:-

- 1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
- 2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
- 3. All Members/Departmental Council & National Council & Secretary/Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
 - 4. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
- 5. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
- 6. The General Secretary, AIRPFA, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi-110001.
- 7. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
- 8. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
- 9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
- 10. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
- 11. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
- 12. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.

13. General Secretary, All India SC&ST Railway Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.

For Secretary/Railway Board

PSs to MR & MoS(R),

PPSs to Chairman & CEO, M(F), M(Infra.), M(T&RS), M(O&BD), Secretary, DG/RHS and DG/RPF. PPSs to AM (Comml.), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elec.), AM(Budget), AM(F), AM(Mech.), AM (Plg.), AM(Project), AM(PU), AM(Sig.), AM(Stores), AM(Tele), AM(Traffic), AM(Works), AM(T&C), AM(Staff), AM(HR), PED(Vig.) and PED(Infra.).

PSs to ED/Safety(M), EDCE(G), ED(E&R), EDE, EDE(N), EDME(W), EDERS(G), EDE(Res.), EDE(RRB), EDF(B), ED(RE), ED/Track(M), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDE(GC), ED(Stat), ED(Track/MC), EDME(Chg.), EDME(Traction), ED(Works), EDME(Dev.), EDRS(C), EDRS(W), EDPC, EDF(E), EDA, EDV(A), JS(G) and IG/RPF.

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.ई(एनजी)।-2020/पीएम9/1

नई दिल्ली, दिनांक 24.11.2021

महाप्रबंधक (कार्मिक) सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां (मानक सूची के अनुसार)

> विषय: लेखा विभाग और मुख्य विधि सहायक में सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (जीडीसीई) शुरू करना।

संदर्भ: (i) बोर्ड का दिनांक 20.08.1993 का पत्र सं.ई(एनजी)।-92/पीएम2/16

(ii) बोर्ड का दिनांक 21.08.2001 का पत्र सं.ई(एनजी)I-2000/पीएम2/12

इस मंत्रालय के दिनांक 20.08.1993 के पत्र सं.ई(एनजी)।-92/पीएम2/16 के अनुसार सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (जीडीसीई) की योजना कर्मचारियों की ग्रुप 'सी' कोटि में 25 प्रतिशत सीधी भर्ती कोटा रिक्तियों (अन्यथा जिनके लिए मांगपत्र रेल भर्ती बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने थे) को भरने के लिए शुरू की गई थी। आरंभ में यह योजना एक वर्ष की अविध के लिए शुरू की गई थी और बाद में समय-समय पर इसकी अविध बढ़ाई जाती रही है।

2. सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्षेत्र में अब तक विधि सहायक, खानपान पर्यवेक्षक ग्रेड और लेखा संवर्ग की कोटियां शामिल नहीं थी। बोर्ड द्वारा इसकी समीक्षा की गई है और निम्नानुसार विनिश्चय किया गया है कि:

(i) लेखा विभाग के कर्मचारियों को अन्य विभागों की सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में भाग

लेने की अनुमति दी जाती है।

- (ii) अन्य विभागों के कर्मचारियों को इस शर्त के अध्यधीन लेखा विभाग (लेखा लिपिक और किनष्ठ लेखा सहायक के पद हेतु) की सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमित दी जाती है कि सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किनष्ठ लेखा सहायक के रूप में अर्हक कर्मचारियों को 3 वर्ष की अविध में 2 अवसरों में एपेन्डिक्स-।। आईआरईएम परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी होगी। ऐसा न करने पर इन कर्मचारियों को लेखा लिपिक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इन कर्मचारियों की किनष्ठ लेखा सहायक के पद पर अगली पदोन्नित अर्हक एपेन्डिक्स-।। आईआरईएम परीक्षा सिहत वर्तमान पदोन्नित नियमों द्वारा शासित होगी। सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा अधिसूचना में किनष्ठ लेखा सहायक के लिए आवेदन आमंत्रित करते समय इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए और आवेदकों से एक वचनबंध प्राप्त किया जाए।
- (iii) उक्त प्रावधान 2 वर्ष की अविध के लिए लागू होंगे जिसके बाद इनकी समीक्षा की जाएगी।

3. विधि सहायकों की कोटि में अब से सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा की अनुमति दी जाती है।

कृपया पावती दें।

संलग्नकः कुछ नहीं।

(संजय कुमार)

उप निदेशक, स्थापना (एन)

रेलवे बोर्ड

ईमेल: sanjay.kumar6@gov.in फोन नं.43658/01123303658

सं.ई(एनजी)।-2020/पीएम9/1 प्रतिलिपि प्रेषित:-

नई दिल्ली, दिनांक 24.11.2021

- 1. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडियन रेलवेमेन फेडरेशन, क.नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां)
- 2. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन, क.नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां)
- 3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
- 4. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं.256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 5. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, कमरा सं.268, रेल भवन, नई दिल्ली
- 6. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं.256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 8. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 11. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं.341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 12.रेल संरक्षा आयुक्त/ लखनऊ।
- 13. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नंबर 7 (भूतल), रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सचिव/रेलवे बीर्ड